राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 55 / 2021
तारीख दायरा – 14 / 10 / 2021

प्रार्थी :–

1. नैनाराम पुत्र दीपारामजी जाति कुम्हार निवासी देसूरी, देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :–

1. भूमिधारी जरिये राजस्थान सरकार तहसीलदार देसूरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री फिरोजखान शेख अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री कैलाश ईनाणिया तहसीलदार देसूरी पेरोकार सरकार

–:: आदेश ::–

दिनांक : 10/01/2022

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ ग्राम देसूरी की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या 1 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 3777 / 2239 रकबा 0.2[illegible] हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 3779 / 2240 रकबा 0.1620 [illegible] भूमि मे आने जाने के लिये संलग्न नक्शे मे दर्शित लाल स्याही अनुसार (रास्ते की भूमि) 30 फीट चौडा [illegible] हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:58:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2241 रकबा 0.65 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन काकर मे से दक्षिण दिशा की तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ते की मांग की गई है।

3. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी (भूमिधारी) देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट/2021/387 दिनांक 14.10.2021 के लिखा गया।

4. अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक /राजस्व/2021/14 दिनांक 06.01.2022 के जरिये भूअभिलेख निरीक्षक देसूरी से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तावित रास्ते की अनुशंषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

1. प्रार्थी श्री नेनाराम पुत्र दीपारामजी जाति प्रजापत ग्राम देसूरी की राजस्व रेकर्ड खसरा नम्बर 3777/2239 रकबा 0.2160 किस्म बारानी अव्वल खसरा नम्बर 3779/2240 रकबा 0.1620 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 0.3780 हेक्टर कृषि भूमि के खातेदार है।

2. प्रार्थी खातेदार द्वारा खसरा नम्बर 3777/2239 रकबा 0.2160 किस्म बारानी अव्वल खसरा नम्बर 3779/2240 रकबा 0.1620 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल रकबा 0.3780 हेक्टर भूमि पर पहुंच हेतु सिवायचक खसरा नम्बर 2241 रकबा 0.65 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन काकर मे से अपनी खातेदारी भूमि पर रास्ते की मांग की गई है।

3. खसरा नम्बर 2241 रकबा 0.65 हेक्टर मे से 30 फीट की चौडाई के दक्षिण की तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित होगा। जो रास्ते के रूप मे ही मौके पर उपयोग हो रहा है।

4. उक्त रास्ते की पहुंच हेतु प्रार्थी खातेदार का खसरा नम्र 3779/2240 18 फीट की दूरी पर स्थित है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:58:47 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रार्थी खातेदार द्वारा 30 फीट चौडे रास्ते की मांग की गई है। अर्थात् 9.2 मीटर चौडा कुल क्षेत्रफल 18 x 9.2 = 165.6 वर्ग मीटर भूमि खसरा नम्बर 2241 राजकीय सिवायचक मे से प्रभावित होगी।

6. उक्त खसरे के अलावा प्रार्थी के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। रास्ता मुख्य सडक से नजदीक है।

7. मौके पर प्रार्थी खातेदार इसी रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि मे आना जाना करते है।

8. प्रस्तावित रास्ते से किसी भी प्रकार से बडे हरे पेडो की हानि नही होगी।

9. प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 2741 की वर्तमान बाजार दर 1282320/- रूपये प्रति हेक्टर है।

10. उक्त दर से प्रभावित रास्ते का रकबा 165.6 वर्ग मीटर की राशि रूपये 21235/- बनती है। जिसकी डबल राशि 42470/- बनती है।

तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3777/2239 रकबा 0.2160 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 3779/2240 रकबा 0.1620 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि मे आने जाने हेतु प्रार्थी की मांग अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2241 रकबा 0.65 हेक्टर किस्म गै.मु. काकर मे से दक्षिण दिशा मे से होते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर 30 फीट चौडाई मे 9.2 मीटर कुल रकबा 18 x 9.2 = 165.6 वर्ग मीटर रास्ता दिया जाना उचित है। इस हेतु प्रार्थी को 42470/- रूपये का अनुदान भुगतान राजकोष मे जमा कराना होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251-क स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से 30 फीट चौडे रास्ते के परिपेक्ष्य मे D.L.C की दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 42,470/- प्रार्थी द्वारा जरिये चालान राजकोष मे जमा कराये जावे। प्रार्थी को खातेदारी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:58:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 3777/2239 व खसरा नम्बर 3779/2240 मे आने जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2241 के दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर 30 फीट चौडाई मे कुल 18 x 19.2 = 165.6 वर्ग मीटर रास्ता दिया जाकर एवं राजकोष मे जरिये चालान राशि जमा होने के बाद रास्ते का समस्त रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। नक्शे मे तरमीम किया जावे।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक 10/01/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:58:47 IST
Reason: SelfAttested